

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भील वाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 15/2024 राजस्व वाद

01. शान्ति लाल पिता छगन लाल, जाति महाजन, आयु वयस्क निवासी-चिलेश्वर, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0) — वादीगण

बनाम

01. नाथुलाल पिता छगन लाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी-चिलेश्वर, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. बैंक ऑफ बडीदा शाखा करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0), — प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात**

वादीगण की ओर से श्री मनोहर लाल सेन, एडवोकेट और प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 11.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 313 के आराजी नम्बर 1176, 1190, 1191, 1358, 1360, 1361, 1362, 3175/1358 कुल किता 08 कुल रकबा 4.8564 हैक्टयर भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरसीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(1)खातेदार का नाम-शान्तिलाल पुत्र छगन लाल जाति महाजन हिस्सा सम्पूर्ण सा0 चिलेश्वर खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01.	1190	0.1012 हैक्टयर
02.	1191/1	0.3945 हैक्टयर
03.	1358/1	0.9407 हैक्टयर
04.	1360/2	0.5248 हैक्टयर
05.	1361	0.1012 हैक्टयर
06.	1362/2	0.1518 हैक्टयर
योग	किता 06	2.2142 हैक्टयर

(2)प्रतिवादी का नाम-नाथुलाल पुत्र छगन लाल जाति महाजन हिस्सा सम्पूर्ण सा0 चिलेश्वर खातेदार के नाम पर-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
01.	1176/1	0.2340 हैक्टयर

01	1181/2	0.2617 हेक्टर
02	1358/2	1.3013 हेक्टर
03	1360/1	0.4237 हेक्टर
04	1362/1	0.3841 हेक्टर
योग	किता 05	2.5748 हेक्टर

उपरोक्त खातदार का नाम - माधुसूदन पुत्र छनन साह हिस्सा 1/2, गाँव साह पुत्र छनन साह हिस्सा 1/2, जाति महाना काठ चित्तेश्वर खातदार के नाम पर

क्र.सं.	कारवाही नम्बर	सबबा (हेक्टर में)
01	1175/2	0.0053 हेक्टर
02	1191/3	0.0257 हेक्टर
03	1358/3	0.0191 हेक्टर
04	3175/1358	0.0253 हेक्टर
योग	किता 04	0.0754 हेक्टर

काठ-गाम चित्तेश्वर के खाता नम्बर 373 सबबा 4.8584 हेक्टर का प्रारम्भिक विभाजन प्रस्ताव बनाया है, जिसमें बाँटे की 2.2142 हेक्टर भूमे हिस्से अन्वयित की है तथा अतिबाँटे माधुसूदन की 2.5748 हेक्टर भूमे अन्वयित की है सबबा 0.0674 हेक्टर गलत व गुराँ हरु मानसात में छाँटे हैं। बाँटे का नम्बर 2 मा-48-2.2142=0.3608 हेक्टर भूमे कम की जाती है जिसकी क्षतिपूर्ति इसी गाम के खाता नम्बर 372 373 में सहभागी विभाजन से बाँटे की 0.3608 हेक्टर की क्षतिपूर्ति कम की है जिसमें बाँटे व अतिबाँटे सहमत हैं।

उपरोक्त सचन्य सेबाई में इन्दाब सुकलती कर सचन्य सेबाई में अन्तम खाता कायम कर नाम अतिअन्वयित किया जाये।

उपरोक्तगत कलैडा की राहस्य जाने कर अतिअन्वयित सचन्य सेबाई में अन्तम बनाने के लिये बाँटेअन्वयित अपना अन्वयित करने।

(सचन्य सेबाई)
 सचन्य सेबाई का
 सचन्य सेबाई का

सचन्य सेबाई के लिये सचन्य सेबाई का सचन्य सेबाई का
 सचन्य सेबाई का सचन्य सेबाई का

दिल्ली काठ दिनांक 11.08.2025 को भी इन्दाब व सचन्य सेबाई का सचन्य सेबाई का सचन्य सेबाई का

सचन्य सेबाई के लिये सचन्य सेबाई का सचन्य सेबाई का
 सचन्य सेबाई का सचन्य सेबाई का

दिल्ली काठ दिनांक 11.08.2025 को भी इन्दाब व सचन्य सेबाई का सचन्य सेबाई का सचन्य सेबाई का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 15/2024 राजस्व वाद

01. शान्ति लाल पिता छगन लाल, जाति महाजन, आयु वयस्क निवासी-चिलेश्वर, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0) — वादीगण

बनाम

01. नाथुलाल पिता छगन लाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी-चिलेश्वर, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।

02. बैंक ऑफ वडौदा शाखा करेड़ा तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

03. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0),

— प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वावत विभाजन आराजियात**

उपरिथत :-

1. श्री मनोहर लाल सेन
2. एकपक्षीय-
3. परोकार सरकार

—अधिवक्ता वादीगण

— प्र.सं. 01,02

—प्रति.सं. 03

:: निर्णय ::

दिनांक- 11/08/2025

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर हक हिस्से की भूमि को विकसित करने मे, फसल, लगान आदि जमा कराने एवं ऋण लेने में विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के वाद तामिल उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

आदेश

सरहद चिलेश्वर पटवार हल्का चिलेश्वर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोरख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 313 के आराजी नम्बर 1176, 1190, 1191, 1358, 1360, 1361, 1362, 3175/1358 कुल कित्ता 08 कुल रकबा 4.8564 हैक्टर भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

(1)खातेदार का नाम-शान्तिलाल पुत्र छगन लाल जाति महाजन हिस्सा सम्पूर्ण सा0 चिलेश्वर खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
01.	1190	0.1012 हैक्टर
02.	1191/1	0.3945 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
कलेक्टर करेड़ा

03.	1358 / 1	0.9407 हैक्टर
04.	1360 / 2	0.5248 हैक्टर
05.	1361	0.1012 हैक्टर
06.	1362 / 2	0.1518 हैक्टर
योग	किता 06	2.2142 हैक्टर

(2) प्रतिवादी का नाम—नाथुलाल पुत्र छगन लाल जाति महाजन हिस्सा सम्पूर्ण सा0 चिलेश्वर खातेदार के नाम पर—

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर में)
01.	1176 / 1	0.2340 हैक्टर
02.	1191 / 2	0.2617 हैक्टर
03.	1358 / 2	1.3013 हैक्टर
04.	1360 / 1	0.4237 हैक्टर
05.	1362 / 1	0.3541 हैक्टर
योग	किता 05	2.5748 हैक्टर

(3) सामलात खातेदार का नाम— नाथुलाल पुत्र छगन लाल हिस्सा 1/2, शान्ति लाल पुत्र छगन लाल हिस्सा 1/2, जाति महाजन सा0 चिलेश्वर खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर में)
01.	1176 / 2	0.0063 हैक्टर
02.	1191 / 3	0.0267 हैक्टर
03.	1358 / 3	0.0091 हैक्टर
04.	3175 / 1358	0.0253 हैक्टर
योग	किता 04	0.0674 हैक्टर

नोट:—ग्राम चिलेश्वर के खाता संख्या 313 रकबा 4.8564 हैक्टर का प्रारम्भिक विभाजन प्रस्ताव बनाया है, जिसमें वादी को 2.2142 हैक्टर भूमि हिस्से प्रस्तावित की हैं तथा प्रतिवादी नाथुलाल को 2.5748 हैक्टर भूमि प्रस्तावित की है रकबा 0.0674 हैक्टर रास्ते व कुएँ हेतु सामलात में छोड़ी हैं। वादी को रकबा 2.5748-2.2142=0.3606 हैक्टर भूमि कम दी जाती हैं जिसकी क्षतिपूर्ति इसी ग्राम के खाता संख्या 372, 373 में सहमति विभाजन से वादी को 0.3606 हैक्टर की क्षतिपूर्ति कर दी हैं जिसमें वादी व प्रतिवादी सहमत हैं।

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 11/08/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(
 उपखण्ड अधिकारी पदेन
 सहायक कलक्टर करेडा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)